न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 38/2018 RCMS No.—2018/00049

बाला सहाय खटीक पुत्र श्री प्रभुदयाल खटीक, आयु 55 वर्ष, जाति खटीक, निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. हीरालाल पुत्र स्व. मोतीलाल आयु 64 वर्ष, जाति खटीक, निवासी मकान नंबर 1149, जतीजी की बगीची, आयुर्वेदिक अस्पताल के पास, मंडी खटीकान, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर।
2. पन्नालाल पुत्र स्व. मोतीलाल आयु 60 वर्ष, जाति खटीक, निवासी मकान नंबर 1149, जतीजी की बगीची, आयुर्वेदिक अस्पताल के पास, मंडी खटीकान, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर।
3. प्रभुदयाल पुत्र स्व. मोतीलाल आयु 50 वर्ष, जाति खटीक, निवासी मकान नंबर 1149, जतीजी की बगीची, आयुर्वेदिक अस्पताल के पास, मंडी खटीकान, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर।
4. श्रीमति मगन देवी पुत्री स्व. मोतीलाल पत्नी श्री छोटू नावरीया आयु करीब 50 वर्ष जाति खटीक, पूर्व निवासी थली, हाल निवासी खटीको का मोहल्ला, कानोता बस स्टैण्ड, कानोता, जयपुर।
5. शरीफ खान पुत्र श्री ईस्माईल खान उम्र 32 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
6. इरफान खान पुत्र सुल्तान खां शेख, उम्र 25 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच, ताला पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर

.....विपक्षीगण

———————

निगरानी खिलाफ आबादी पट्टा मिसल संख्या 141, पट्टा संख्या 21 दिनांक 15.05.1971 ग्राम पंचायत ताला पं.स. जमवारामगढ जिला जयपुर

———————

उपस्थितः–

1. श्री संजय शर्मा व निरंजन शर्मा अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश शर्मा व बृजेश पारीक अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 लगायत 6 की ओर से।

निर्णय दिनांक 31.10.2019

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत ताला, पंचायत समिति, जमवारामगढ के निर्णय/आदेश दिनांक 15.05.1971 जिससे ग्राम पंचायत ताला द्वारा मोतीलाल पुत्र काना, जाति खटीक, निवासी ग्राम ताला के पक्ष में पट्टा संख्या 21 जारी करने का निर्णय लिये जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– 1 लगायत 6 की ओर से ओमप्रकाश शर्मा व बृजेश पारीक अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या–7 ग्राम पंचायत ताला की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत ताला

उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। ग्राम पंचायत ताला द्वारा पत्रांक 169 दिनांक 20.08.2018 द्वारा मूल पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध होना बताया है एवं सरपंच ग्राम पंचायत ताला द्वारा ग्राम पंचायत का बैठक कार्यवाही रजिस्टर 1967 से 1973 पेश किया जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है एवं अपठनीय है। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ताला का आदेश विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता बुजुर्गो के समय से ग्राम पंचायत ताला में निवास करता है। ग्राम ताला में निगरानीकर्ता का एक पुख्ता मकान पूर्व देखता स्थित है। मकान के दक्षिण दिशा में निगरानीकर्ता के कब्जे व अधिकार की एक भूमि स्थित है जिसमें निगरानीकर्ता अपने मवेशी बांधने एवं अपना अन्य सामान रखता है। गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 4 के पिता मोती पुत्र काना खटीक ने उपरोक्त भूखंड का एक विक्रय विलेख पट्टा संख्या 21 मिसल संख्या 141 दिनांक 15.05.1971 को स्वयं के हक में जारी करवा लिया। इस विक्रय विलेख का कोई रिकॉर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इस विक्रय विलेख के आधार पर मोती के वारिसान ने दिनांक 16.01.2018 को जरिये इकरारनामा गैर निगरानीकार संख्या 6 व 7 को विक्रय करना जाहिर किया है। गैर निगरानीकार संख्या 6 व 7 ने स्वयं को उक्त भूखण्ड का क्रेता बताकर निगरानीकर्ता को निगरानीधीन पट्टे की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की। निगरानीकर्ता ने एक दावा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला जयपुर में पेश किया है। निगरानीकर्ता को सर्वप्रथम पट्टे की फोटोप्रति दिनांक 02.04. 2018 को प्राप्त हुई। पंचायती राज नियमो के अनुसार ग्राम पंचायत ताला को निगरानीकर्ता के स्वामित्व व कब्जे की भूमि का पट्टा मोती पुत्र काना खटीक के हक में जारी करने का अधिकार नहीं है। गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 6 का किसी प्रकार का कब्जा उक्त वर्णित भूखण्ड पर नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत ताला द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज नियमो की पालना नहीं की गई। निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ताला, द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 लगायत 4 के पिता मोती पुत्र काना खटीक के हक में आदेश दिनांक 15.05.1971 द्वारा जारी पट्टा संख्या 21 निरस्त किया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा दौराने बहस अपने जवाब को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ताला द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है।

विवादित सम्पत्ति से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। निगरानीधीन पट्टा के लिए तत्समय ग्राम पंचायत ताला द्वारा पत्रावली संख्या 141 का संधारण किया गया है। ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में भी मोती पुत्र काना खटीक के हक पट्टा जारी करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। जन स्वाा. अभि. विभाग उपखण्ड जमवारामगढ अनुसार मोतीराम पुत्र कानाराम खटीक का जल संबंध 14.06.1976 से है जो मोतीराम के विवादित भूखण्ड पर स्वामित्व को दर्शाता है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.08.1972 को प्रभुदयाल, नाथुराम पुत्र मांगीलाल के हक में जारी पट्टा संख्या 5 एवं भूराराम पुत्र मांगू बुनकर पट्टा संख्या 27 की सीमाओ में मोती पुत्र कानाराम खटीक का बाडा होने का उल्लेख है। ग्राम पंचायत द्वारा कब्जे के आधार पर निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। निगरानी गलत तथ्यो के आधार पर पेश की गयी है। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर निगरानीकर्ता का स्वामित्व स्पष्ट होता हो। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली अप्राप्त है ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित है। ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर 1967 से 1978 जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने से अपठनीय है। ग्राम पंचायत ताला द्वारा मिसल संख्या 141 आदेश दिनांक 15.05.1971 से गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 4 के पिता मोती पुत्र काना खटीक के हक में पट्टा संख्या 21 जारी किया गया। निगरानीकर्ता का निगरानी में मुख्य दलील है कि विवादित भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का ही कब्जा रहा है जबकि निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य/सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे ये स्पष्ट हो कि विवादित भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का कब्जा है। वकील निगरानीकर्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत ताला द्वारा निगरानीधीन पट्टा नियमानुसार जारी नहीं किया गया है। प्रकरण में गैर निगरानीकार द्वारा दस्तावेज पेश किए गए जिसके अनुसार ग्राम पंचायत ताला द्वारा प्रभुदयाल नाथुराम पुत्र मांगीलाल निवासी ताला के हक में आदेश दिनांक 18.08.1972 द्वारा जारी पट्टे की दक्षिण सीमा में मोती पुत्र काना खटीक का उल्लेख है इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 02.08.1971 द्वारा भूराराम पुत्र मांगूराम बुनकर के हक में जारी पट्टा संख्या 27की उत्तरी सीमा में मोती पुत्र काना खटीक के बाडे का उल्लेख है। निगरानीधीन पट्टा संख्या 21 की दक्षिणी सीमा में भूराराम बुनकर का मकान होने का उल्लेख है। ग्राम पंचायत ताला द्वारा जारी किए गए अन्य पट्टो में गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 4 के पिता मोती पुत्र काना खटीक का उल्लेख होने से गैर निगरानीकार संख्या 1 लगा. 4 के पिता के

हक में ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा दिया जाना प्रतीत होता है। गैर निगरानीकारान द्वारा वर्ष 1971 एवं वर्ष 2014 की विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ की निर्वाचन क्षेत्र की नामावली दस्तावेज के साथ पेश की गयी जिसमें गैर निगरानीकार संख्या 1 लगा. 4 एवं उनके पिता मोती पुत्र काना का उल्लेख है जिससे स्पष्ट होता है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 4 एवं उनके पिता मोती पुत्र काना खटीक का ग्राम ताला में निवास रहा है। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र के अनुसार सहायक अभियन्ता जन.स्वा.अभि. विभाग, उपखण्ड जमवारामगढ द्वारा दिये गये जवाब दिनांक 07.05.2018 में गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 4 के पिता का जल संबंध दिनांक 14.06.1976 से होना स्पष्ट किया है जिससे स्पष्ट होता है कि निगरानीधीन पट्टे के भूखण्ड पर मोती पुत्र काना खटीक का कब्जा रहा है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्यो के अनुसार निगरानीकर्ता का विवादित भूखण्ड पर कब्जा होना एवं ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा गलत जारी किया जाना साबित नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2019.11.18 14:03:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: